न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4295–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–06–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक नजूल वृत एम.पी.नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 15/अ–12/2013–14

.....

1–लीलाकिशन आ0श्री दुर्गाप्रसाद सेन
2–बद्रीप्रसाद आ0श्री केसरी सेन
3–रामकिशन आ0 श्री बाबूलाल
4–जगदीश आ0 श्री बाबूलाल
5– बाबूलाल आ0 श्री मुशींलाल
6–द्वारका प्रसाद सेन आ0 श्री केसरी सेन
निवासी गण ग्राम मिसरोद तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नन्नूलाल साहू आ0 स्व.हरलाल साहू
निवासी ग्राम मिसरोद तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री सी0एस0 मिश्रा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक नजूल वृत एम.पी.नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम मिसरोद स्थित सर्वे कमांक 310 व 311 रकबा 0.85 डिसमिल के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण

कमांक 15/अ–12/2013–14 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 17–8–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन में अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होना दर्शाया गया है, जबकि आवेदक और अनावेदक की भूमि के बीच में सड़क है । इस आधार पर कहा गया कि यदि अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा है, तब अनावेदक की भूमि का रकबा काफी बड़ा हो जायेगा । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई हे । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया जाकर अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि पूर्व में इसी राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई है । अतः यह निगरानी भी निरस्त की जाकर सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन में आवेदक एवं अनावेदक की भूमि के मध्य सड़क होना पाई गई है, अतः सड़क के दूसरी तरफ अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा होना स्पष्टतः परिलक्षित नहीं होता है । चूँकि आवेदक एवं अनावेदक की भूमि के मध्य सड़क है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक का यह विधिक दायित्व था कि वे सड़क का भी सीमांकन करते, परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं

है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष एवं पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर स्थायी सीमाचिन्हों से अनावेदक की भूमि सहित सड़क का भी सीमांकन किया जाकर विधिवत् सीमांकन आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक नजूल वृत एम.पी.नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–06–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर सीमांकन आदेश पारित करने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर